राष्ट्रीय संस्करण

लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरेंगे रक्षामंत्री

>>3

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 100

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 18 सितंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

शहर को साफ करने के अभियान में जुटे पेशेवर

लुधियाना : पंजाब के लुधियाना शहर के कुछ पेशेवर शहर की साफ-सफाई के महा अभियान में जुटे हैं। ये लोग रविवार सुबह शहर के एक हिस्से का चयन करते हैं व सफाई में जुट जाते हैं। यह युवा खुद सफाई करने में स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों को भी साथ जोड़ लेते हैं। (पेज-10)

जागरण विशेष

इस पत्थर की लचक को देख कर रबड़ भी लजा जाए

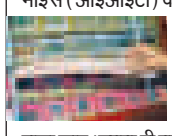

धनबाद : धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस (आइआइटी) के म्यूजियम में एक ऐसा पत्थर का टुकड़ा मौजूद है, जिसकी लचक देखकर रबड़ भी लजा जाए। इतना ही नहीं, इस पत्थर की उम्र जानकर भी चौंक जाएंगे आप। इस पत्थर की उम्र 1.75 करोड़ वर्ष है। (पेज-16)

पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था 2024 से पहले

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- शाह ने उद्योग जगत को दिया भरोसा, नहीं होने देंगे कोई दिक्कत

अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष के सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दावा किया है कि 2024 से पहले देश पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। वहीं उद्योग जगत की पीठ थपथपाते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया और कोई दिक्कत नहीं होने देने का भरोसा भी दिया। कुछ सख्त सुधारों के कारण हुई परेशानियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो परेशानी झेलते हैं बाद में उन्हें ही फल मिलता है।

अमित शाह ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (आइमा) के नेशनल मैनेजमेंट कन्वेंशन में उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, पहले देश की औसत जीडीपी छह फीसद के आस- पास थी, जबकि पिछले पांच वर्षों में यह सात फीसद से भी अधिक रही है। हम पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे मजबूत आधार है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में पिछले पांच वर्षों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अब 78 हजार से बढ़कर 1.26 लाख रुपये प्रति व्यक्ति हो गई है। कृषि आय में भी भारी वृद्धि हुई है। यह सब ऐसे नहीं हुआ है, इसके लिए हमने पैसे लगाए हैं। कृषि का बजट जहां पहले 1.21 लाख करोड़ था, उसे बढ़ाकर 2.11 लाख करोड़ किया है।

नई दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एआइएमए के 46वें नेशनल मैनेजमेंट कंवेंशन को संबोधित किया। प्रेट्र

गृह मंत्री ने इस दौरान उद्योग जगत से भी पीएम मोदी के न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए आगे आने की अपील की। साथ ही कहा, वह आगे आएं। सरकार मन खोलकर उनका सहयोग करेगी। शाह ने कहा, देश के अंदर निश्चिंतता के वातावरण के लिए कानूनी नियम कायदे से चलने की जरूरत है। कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश में ऐसी व्यवस्था हो, जिसमें किसी को किसी से पूछने की जरूरत ही न हो। उन्होंने आइमा और फिक्की जैसे संगठनों से आग्रह किया कि वह आगे आएं और देश के विकास को गति देने में योगदान दें। उन्होंने उद्योगों से कलस्टर तैयार कर रक्षा, फार्मा आदि क्षेत्रों में आगे आने को कहा। शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी सारे परिवर्तनों को खुले दिल से स्वीकारने को तैयार हैं। देश के उद्योगों ने दुनिया के सामने कई बार अपना लोहा मनवाया है और फिर से इस दिशा में जाने के लिए खुद को तैयार करें।

कांग्रेस की पूर्व सरकार पर हमला करते हुए शाह ने यह सवाल किया कि कहीं जनता बहुदलीय व्यवस्था से उचाट तो नहीं हो गई है। उन्होंने कहा, संविधान में यह भावना थी कि बहुदलीय व्यवस्था से देश का विकास होगा, लेकिन 70 वर्षों में दुविधा खड़ी हो गई। शाह ने कहा, कांग्रेस सरकार न सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी थी बल्कि बड़े फैसले लेने से डरती थी। 30 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी पांच बड़े फैसले नहीं कर पाई। वजह इच्छाशक्ति की कमी थी। वोट बैंक की राजनीति थी।

पीएम ने जन्मदिन पर लिया मां का आशीर्वाद और साथ में खाया खाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने 69वें जन्मदिन पर गांधीनगर में मां हीरा बा से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने मां के साथ दोपहर का खाना भी खाया। दोनों को पारंपरिक गुजराती खाना परोसा गया, जिसमें सलाद, पूरन पोली, रोटी, दाल तथा आलू-भिंडी की सब्जी शामिल थी। इससे पहले मोदी सरदार सरोवर बांध पहुंचे और वहां उन्होंने नर्मदा नदी की पूजा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अपने जन्मदिन पर मां हीरा बा से मुलाकात करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। (समाचार पेज-5 पर) एएनआइ

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

एनजीओ भी आरटीआइ एक्ट के दायरे से बाहर नहीं : कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में कहा कि सरकार से पैसे लेने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सूचना के अधिकार कानून (आरटीआइ एक्ट) के तहत जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि स्कूल, कॉलेज या अस्पताल, जो सरकार से प्रत्यक्ष या रियायती दर पर जमीन के रूप में अप्रत्यक्ष मदद लेने वाले संस्थान भी आरटीआइ के दायरे में आते हैं।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 5

कश्मीर में बिना वेरीफिकेशन आयुष्मान योजना का लाभ

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद होने के बाद भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। गरीबों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने विशेष छूट दे रखी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ इंदु भूषण के अनुसार कश्मीर में मरीजों का इलाज बिना ऑनलाइन वेरीफिकेशन के ही किया जा रहा है।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 12

होटल व आउटडोर कैटरिंग पर जीएसटी घटाने की तैयारी

नई दिल्ली : विदेशी और घरेलू पर्यटकों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल होटलों पर टैक्स घटा सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 20 सितंबर को गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में 7500 रुपये प्रतिदिन से अधिक टैरिफ वाले होटल कमरों पर जीएसटी की दर 28 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट की जा सकती है। इसी तरह आउटडोर कैटरिंग पर भी जीएसटी की दर 18 परसेंट से घटाकर पांच परसेंट की जा सकती है।

गुलाम कश्मीर हमारा, लेकर रहेंगे

सख्त संदेश ▸ विदेश मंत्री ने कहा-कश्मीर पर दुनिया क्या कहती है, इसकी ज्यादा परवाह नहीं

न्यूयॉर्क में न तो दोनों देशों के प्रधामंत्रियों की मुलाकात होगी और न ही विदेश मंत्रियों की

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले पर दुनिया भर में छाती पीट रहे पाकिस्तान के हुक्मरानों को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेहद शालीन लेकिन सख्त संदेश दिया है। मोदी सरकार-2 के सौ दिन पूरा होने पर अपने मंत्रालय के काम काज का लेखा जोखा पेश करने मीडिया के सामने आए जयशंकर ने कहा कि, 'गुलाम कश्मीर (पीओके) को लेकर हमारी स्पष्ट नीति है कि यह भारत का हिस्सा है। एक दिन पीओके भी भारत के शासन के अधीन होगा।'

जयशंकर का यह बयान 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान' का नारा लगा रहे पाकिस्तानी नेताओं के लिए एक झटका भी है और कूटनीतिक भाषा में गंभीर संकेत भी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जिस तरह से भारत के साथ युद्ध जैसा माहौल बना रहे हैं उसी संदर्भ में जयशंकर के बयान को लिया जा रहा है। विदेश मंत्री से पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान से अब सिर्फ गुलाम कश्मीर पर ही बात होगी।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को मोदी सरकार-2 के सौ दिन पूरे होने के मौके पर अपने मंत्रालय की उपलब्धियां गिनाईं। प्रेट्र

आतंक को लेकर पाक पर साधा निशाना

विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो खुलेआम अपने पड़ोसी के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अब भारत के पक्ष को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत 'पड़ोस पहले' की नीति को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन उसे एक पड़ोसी से 'अलग तरह की चुनौती' का सामना करना पड़ रहा है। यह चुनौती तब तक बनी रहेगी, जब तक यह पड़ोसी सामान्य पड़ोसी की तरह व्यवहार नहीं करता और सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता।

मंत्री बनने के बाद अपनी पहली प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ निकट भविष्य में बातचीत की संभावना को भी खारिज कर दिया। अगले हफ्ते पीएम नरेंद्र मोदी और पाक के पीएम इमरान खान संयुक्त राष्ट्र की सालाना बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका में होंगे। दोनों देशों के विदेश मंत्री भी वहां होंगे।

मुलाकात की संभावना के बारे में सवाल पूछने पर जयशंकर ने उल्टा पत्रकारों से ही सवाल कर डाला, 'अभी जिस तरह का माहौल है उसे देखते हुए क्या आपको बातचीत संभव दिखती है?' पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ जयशंकर वहां सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे लेकिन द्विपक्षीय वार्ता की कोई संभावना नहीं है। सनद रहे कि अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के बाद इमरान ने कहा था कि भारत के साथ वार्ता की अब कोई गुंजाइश नहीं है। इस पर जयशंकर का कहना था कि बात अनुच्छेद 370 की नहीं है क्योंकि यह हमेशा से भारत के संविधान का अस्थाई प्रावधान रहा है। असल मुद्दा पाकिस्तान की तरफ से आतंकी ढांचे को खात्मा करने का है। इस असली मुद्दे पर पाक कुछ नहीं कर रहा।

विदेश मंत्री ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर दुनिया के कुछ देशों या संस्थानों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसे लेकर भारत सरकार बहुत परेशान नहीं है। कहा, कश्मीर पर दुनिया क्या सोचती है, इसको लेकर एक सीमा के बाद ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। असलियत यही है कि भारत ने अपने संविधान के मुताबिक ही अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया। यही बात दुनिया के तमाम देशों व संस्थानों को भी बताई जाएगी। इसकी वजह से जम्मू-कश्मीर में विकास कार्य प्रभावित हो रहा था और वहां अलगाववाद को भी आंच मिल रही थी। इसी भावना का पाक भी फायदा उठा रहा था और वहां आतंकवाद को भड़का रहा था।

कल्याणकारी राज्य भारत की अवधारणा नहीं : आरएसएस

- मनमोहन वैद्य ने कहा-हर चीज के लिए सरकार के सहारे न रहें, भारतीय समाज में आत्मनिर्भर बनने की क्षमता
- टैगोर की पुस्तक स्वदेशी समाज को शिक्षा में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का दिया सुझाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ पदाधिकारी मनमोहन वैद्य ने मंगलवार को कहा कि वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य भारत का विचार नहीं है। उनके मुताबिक भारतीय समाज में इतनी ताकत है कि वह हर चीज के लिए सरकार पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बन सकता है।

आरएसएस के सह-सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य ने भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, कुछ लोगों की यह सोचने की आदत होती है कि सब कुछ सरकार द्वारा किया जाएगा, लेकिन यह नजरिया भारतीय समाज का नहीं रहा है। हमारा समाज परंपरागत रूप से साहसी रहा है। उसमें आत्मनिर्भर बने रहने की क्षमता रही है। वैद्य ने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक स्वदेशी समाज का हवाला देते हुए कहा कि यह किताब स्कूल स्तर या फिर उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम का हिस्सा बननी चाहिए, क्योंकि इसमें समाज में मूल्यों की स्थापना की बात है। उन्होंने कहा कि इस किताब में भी कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य भारत का विचार नहीं है। भारत के लोगों को किसी प्रतिष्ठान पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, भारत के समाज में कुछ भी हासिल करने अथवा किसी भी तरह का संकट का सामना करने की ताकत रही है।

मनमोहन वैद्य फाइल फोटो

यह हमारे समाज की ताकत ही थी कि 850 साल तक मुगल शासन के अधीन रहने के बावजूद 15 प्रतिशत से भी कम लोगों का इस्लाम में धर्मांतरण कराया जा सका और तीन प्रतिशत से भी कम लोगों को जबरन या फिर छल-छद्म के जरिये ईसाई बनाया जा सका। वैद्य ने कहा, लोगों को अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है और पूरी तरह नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय उन्हें उद्यमिता के अवसर भी तलाशने चाहिए।

माया के दो विधायकों को मंत्री व चार को संसदीय सचिव बनाएंगे गहलोत

जागरण संवाददाता, जयपुर

- राजस्थान में बसपा के सभी छह विधायकों ने थाम लिया है हाथ
- विधायकों के झटका देने पर मायावती ने कांग्रेस को कोसा

राजस्थान में मायावती को झटका देकर कांग्रेस का हाथ थामने वाले बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के दो विधायकों को मंत्री और चार विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनके समर्थकों को राजनीतिक नियुक्तियां देकर समायोजित करने का भरोसा दिया है। ज्ञात हो, सोमवार देर रात बसपा के सभी छह विधायकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। वहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हालांकि, मप्र में इस राजनीतिक उठापटक का कोई असर नहीं हुआ है।

सूत्रों के अनुसार, अशोक गहलोत ने बसपा से आए दो विधायकों राजेंद्र गुढ़ा और वाजिब अली को मंत्री एवं चार विधायकों जोगिंदर सिंह अवाना, संदीप यादव, दीपचंद खेरिया और लाखन सिंह को संसदीय सचिव बनाने का वादा किया है।

पायलट बोले-बिना शर्त हुए शामिल : उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि बसपा विधायकों को बिना शर्त कांग्रेस में शामिल किया गया है। उधर, सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि बसपा विधायकों ने प्रदेश में स्थिर सरकार देने के लिए विधायक दल का कांग्रेस में विलय किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ खड़ी रही है, लेकिन यह बात एकदम साफ है कि राजस्थान में उनकी सरकार नहीं बन सकती। ऐसे में भाजपा बसपा विधायकों को प्रलोभन दे रही थी, लेकिन वह उनके झांसे में नहीं आए।

भाजपा बोली-गहलोत के मन में असुरक्षा पेज>>4

मध्य प्रदेश 'पानी का अधिकार' कानून बनाने वाला पहला राज्य बनेगा

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश में पानी का अधिकार (राइट-टू-वाटर) कानून का मसौदा जल्द से जल्द तैयार कर इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। ऐसा कानून बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। इसके तहत प्रदेश के जल स्रोत (नदी, तालाब व अन्य) पर अतिक्रमण अपराध होगा।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को पानी का अधिकार कानून पर विशेषज्ञों की समिति की बैठक में इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने कहा, पानी पर सबसे पहला अधिकार नागरिकों का है, इसलिए समुदाय को पानी के प्रबंधन व उपयोग का अधिकार देना चाहिए। इसी सोच के साथ हम पानी का अधिकार कानून में अतिक्रमण को अपराध बनाने जा रहे हैं। सीएम ने साइबेरिया यात्रा का जिक्र करते हुए कहा, वहां बड़े पैमाने पर खेती होती है, लेकिन तालाबों और छोटी-छोटी जल संरचनाओं के माध्यम से सिंचाई होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा-क्या मस्जिद में हो सकती हैं देवी-देवताओं की कलाकृतियां

माला दीक्षित, नई दिल्ली

- सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष से शीर्ष अदालत ने किए खरे-खरे सवाल
- इतिहासकारों की 1991 की रिपोर्ट साक्ष्य नहीं हो सकती : जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

अयोध्या राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को कोर्ट के खरे-खरे सवालों का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने खंभों पर मूर्तियां और कमल उत्कीर्ण होने को लेकर कई सवाल किए। पूछा क्या इस्लाम के मुताबिक मस्जिद में ऐसी कलाकृतियां हो सकती हैं? क्या किसी और मस्जिद में ऐसी कलाकृति होने के सबूत हैं? कोर्ट ने धवन की ओर से 1991 की चार इतिहासकारों की रिपोर्ट को साक्ष्य स्वीकारे जाने की दलील पर कहा कि रिपोर्ट कोर्ट में साक्ष्य नहीं हो सकती, वह महज राय है।

ज्ञात हो, चार इतिहासकारों इरफान हबीब, सूरजभान, डीएन झा और एसके सहाय ने 1991 में रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा था कि यह साबित नहीं होता कि मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई थी। हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट को साक्ष्य इसलिए स्वीकार नहीं किया था क्योंकि रिपोर्ट में डीएन झा ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर इसे साक्ष्य स्वीकार करने की दलील दी थी।

वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने चार इतिहासकारों की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि हाई कोर्ट द्वारा इसे स्वीकार न किया जाना गलत है। रिपोर्ट देने वाले लोग जाने माने इतिहासकार हैं। इन दलीलों पर न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जब इतिहासकारों ने यह रिपोर्ट दी तब खुदाई के बाद आई एएसआइ की विस्तृत रिपोर्ट मौजूद नहीं थी। धवन ने कहा कि रिपोर्ट में है कि वहां मस्जिद बनाने के लिए मंदिर तोड़ा जाना साबित नहीं होता। चंद्रचूड़ ने कहा, हम साक्ष्यों के आधार पर विचार करेंगे। उस रिपोर्ट को साक्ष्य नहीं माना जा सकता वह सिर्फ राय है।

धवन ने कहा, रिपोर्ट के एक व्यक्ति से कोर्ट में जिरह भी हुई थी तब चंद्रचूड़ ने कहा कि हाई कोर्ट के जज सुधीर अग्रवाल ने रिपोर्ट के तरीके पर भी नजर डाली है। वह वीएचपी का जवाब है। धवन ने कहा, अगर यह विशेषज्ञों की राय भी है तो उसे अहमियत मिलनी चाहिए।

यदि मस्जिद है तो वहां फूल, जानवर आदि चित्रित नहीं होने चाहिए पेज>>5

टी-20 सीरीज
भारत vs द. अफ्रीका
शाम 7:00 बजे से
स्थान : मोहाली
प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

पैनी नजर

किसी भी असर से निपटने की हो रही तैयारी, अमेरिका और रूस से अतिरिक्त तेल खरीदने की बात, हालात बिगड़ने पर ईरान का विकल्प भी खुला

खाड़ी क्षेत्र के बिगड़े हालात से सतर्क भारत

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में पांच फीसद की गिरावट जरूर आई, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में हालात अब भी मुश्किल बने हुए हैं। इसे देखते हुए भारत के नीति नियामक भी हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले के बाद जिस तरह से अमेरिका के नेतृत्व में ईरान के खिलाफ लामबंदी शुरू हुई है उससे आने वाले दिनों में क्रूड के महंगा होने के साथ ही उसकी आपूर्ति पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

भारत अपनी जरूरत का 66 फीसद क्रूड इराक, सऊदी अरब, कुवैत जैसे खाड़ी देशों से खरीदता है। भारत की चिंता सिर्फ आपूर्ति प्रभावित होने को लेकर नहीं है बल्कि क्रूड की कीमतों में तेज वृद्धि से अर्थव्यवस्था को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

हालात की गंभीरता को देखते हुए भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी अपनी कोशिश तेज कर दी है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के आला अधिकारियों से बात की है ताकि जरूरत पड़ने पर रूस से ज्यादा तेल का आयात किया जा सके। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन कुवैत और इराक की यात्रा पर हैं, जहां तेल आपूर्ति को लेकर ही सबसे ज्यादा विमर्श हुआ है। अगले हफ्ते पीएम नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जाएंगे तो वहां उनकी द्विपक्षीय वार्ता में तेल आपूर्ति एक बड़ा मुद्दा रहेगा। अमेरिका हाल के वर्षों में भारत के एक प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता देश के तौर पर उभर रहा है। यही नहीं भारत ने जरूरत पड़ने पर ईरान से भी तेल खरीदने के विकल्प को खुला रखा है ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में घरेलू स्तर पर आपूर्ति बाधित न हो। विदेश सचिव विजय गोखले दो दिनों की ईरान यात्रा से मंगलवार को ही स्वदेश लौटे हैं। अभी अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से भारत ईरान से तेल नहीं खरीद रहा है लेकिन आपातकालीन स्थिति पैदा होने पर प्रतिबंध नजरअंदाज किया जा सकता है। भारत अभी अपनी कुल तेल खपत का 83 फीसद आयात करता है। इसमें तकरीबन 66 फीसद तेल खाड़ी देशों से आता है। इसमें 20 फीसद तेल सऊदी अरब से खरीदा जाता है। अब जबकि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका व ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है तो भारत को आशंका है कि इससे उसकी आपूर्ति बाधित हो सकती है। प्रधान ने भारत की चिंताओं को स्वभाविक बताते हुए कहा, 'हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल खरीदार देश हैं। ऐसे में हम समूचे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कोशिश है कि जिन देशों से तेल खरीदा जाता है, उनका दायरा बढ़ाया जाए। अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत बढ़ी है, उससे भी चिंता है। शनिवार को सऊदी के तेल संयंत्रों पर हुए हमले से भी चिंता बढ़ी है। लेकिन अभी तक सऊदी अरब से तेल आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा है। भारतीय तेल कंपनियों ने सऊदी से सोमवार को भी तेल खरीदा और मंगलवार को भी।'

रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के सीईओ इगोर इवानोविच सेचिन ने मंगलवार को नई दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट की। एएनआइ

उधर, मंगलवार को दुनिया के तमाम क्रूड बाजारों में कीमत में पांच डॉलर प्रति बैरल तक की कमी आई। सोमवार को कच्चे तेल की कीमत 19.5 फीसद के इजाफे के साथ 72 डॉलर प्रति बैरल हो गया था। पिछले कुछ महीनों से क्रूड की कीमत स्थिर थी जिसकी वजह से तेल कंपनियों ने रोजाना कीमत तय करने की परंपरा भी स्थगित कर दी थी। कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने खाड़ी के हालात के मद्देनजर क्रूड की कीमत बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने की आशंका जताई है। यह भारतीय इकोनॉमी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मोटे तौर पर क्रूड की कीमत में 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि से भारत का चालू खाता घाटा (आयात पर खर्च व निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की कमाई का अंतर) 0.4 से 0.5 परसेंट तक बढ़ जाता है।

उत्तराखंड में तीसरे बच्चे पर नहीं मिलेगा मातृत्व अवकाश

जागरण संवाददाता, नैनीताल

- हाई कोर्ट ने एकलपीठ का आदेश किया निरस्त, सरकार की विशेष अपील स्वीकार

मातृत्व लाभ अधिनियम को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश पारित किया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील स्वीकार करते हुए एकलपीठ का महिलाओं को तीसरे बच्चे में भी अवकाश देने के आदेश को निरस्त कर दिया है। अब राज्य की सेवाओं में कार्यरत महिलाओं को तीसरा बच्चा होने पर मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत अवकाश नहीं मिलेगा।

हल्द्वानी निवासी नर्स उर्मिला मसीह को तीसरी संतान पर मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत लाभ नहीं दिया गया तो उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में नियमों का हवाला देते हुए नर्स ने कहा, सरकार का नियम मातृत्व लाभ अधिनियम का उल्लंघन करता है। 2018 में एकलपीठ ने इस अधिनियम को अवैधानिक घोषित कर दिया था। इस आदेश को सरकार ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सरकार की ओर से सीएससी परेश त्रिपाठी ने कहा, संविधान का अनुच्छेद-42 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, जिसको लागू करने के लिए याचिका दायर नहीं की जा सकती। मातृत्व लाभ अधिनियम राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता, जबकि निजी क्षेत्र तथा सरकार की कंपनियों में कार्यरत महिलाओं पर लागू होता है। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार की विशेष अपील स्वीकार करते हुए एकलपीठ का आदेश निरस्त कर दिया। साथ ही याचिका भी खारिज कर दी। अब राज्य की सेवाओं में कार्यरत महिलाओं को दो बच्चों के बाद मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत लाभ नहीं मिलेगा।